राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 64 / SEIAA/2022
Date: 9/4/22

प्रति,

मेसर्स आकाश ग्रेनाईट,
प्रो. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, निवासी– इंदिरा नगर, करबी,
जिला मोहबा (उ.प्र.)–210424

विषयः– प्रकरण कमांक 8649/2021 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट, प्रो. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, निवासी– इंदिरा नगर, करबी, जिला मोहबा (उ.प्र.)–210424 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 499ए ग्राम – घटाहरी, तहसील–गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण SEAC समिति द्वारा 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 713 वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–

आज दिनांक 04/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया कि लीज क्षेत्र में खनन् कार्य किया जा चुका है जिस बावत् पूर्व की बैठक में परियोजना प्रस्तावक को खनिज अधिकारी जानकारी प्रस्तुत करने बावत् लिखा गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खनिज अधिकारी ने पत्र कमांक 92 दिनांक 17/1/22 के माध्यम से सहायक मानचित्रकार का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया है जिसमें सहायक मानचित्रकार ने यह उल्लेखित किया है कि पट्टेदार द्वारा यह बताया गया कि उत्खनन् नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व स्वीकृत अवधि दिनांक 25/9/08 से 24/09/18 तक उक्त स्वीकृत क्षेत्र पर उत्खनन् किया गया है । परियोजना प्रस्तावक से पूछे जाने पर कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के क्यों खनन् कार्य किया गया तो उनका कथन था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सीटीओ के आधार पर खनन् कार्य किया गया ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना ही उत्खनन् करने के कारण यह प्रकरण वॉयलेशन (Violation) का है, अतः समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में निहित प्रावधानों के तहत् विचार न करते हुए नस्ती सिया को आगामी कार्यवाही प्रेषित करने की अनुशंसा करती है"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुये तथा पर्यावरणीय मुद्दों व संवेदनशीलता को देखते हुये विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 65 /SEIAA/2022 दिनांक – 9/4/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला – छतरपुर (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला – छतरपुर (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)